न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गोरव अग्रवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यारित)

प्रकरण संख्या 55/2020
प्रविष्टि दिनांक 20–2–2020

काना उर्फ कन्हैयालाल पुत्र माधो गुर्जर निवारी ग्राम–डाबला तह0 उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा उप तहसील बनेठा तहसील उनियारा जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 5–3–2020

उपस्थिति : (1) श्री सीताराम विजय, श्री मानसिंह गुर्जर अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

<ins>निर्णय</ins> दिनांक 3–12–2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने आदेश दिनांक 5–3–2020 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.25 है0 किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम डाबला पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर 100/रू0 शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत रूप से नोटिस नहीं दिया ओर न ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया है जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धन्तों की अवहेल्ना हुई है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर अपीलान्ट को दोषी माना गया है, जबकि पटवारी हल्का से क्रास करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवंश गलत रिपोर्ट अपीलांट के खिलाफ की है। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नहीं दी गई सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4–9–2020 को पु[illegible] गॉव में जाकर अपीलान्ट को गिरिफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय [illegible] हुई। अपीलान्ट ने उक्त एक पक्षीय निर्णय दिनांक 5–3–2020 की नकल हेतु दिनांक 5–10–2020 को आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:03:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

पेश किया ओर नकल दिनांक 6–10–2020 को प्राप्त हुई अपील पेश करने में जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है, जो देरी हुई हे वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। देरी को क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा जहै। अतः: अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.25 है0 किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम डाबला पर कब्जा कर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को नोटिस दिया गया है नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिकमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 0.25 है0 किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम डाबला पर कब्जा कर अतिक्रमण किया है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अपीलान्ट न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें अकिंत किया है कि उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है इससे सिद्व हे कि अपीलान्ट ने अतिक्रमण किया था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 0.25 है0 किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम डाबला तहसील उनियारा पर सरसो की काश्त कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर से अपना कब्जा हटा लिया है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा के समक्ष दिनांक 5–11–2020 को शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि मेने आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 0.25 है0 किस्म गैर मुमकिन नाला पर से मौके से कब्जा हटा लिया है ओर अब मेरा उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है। नायब तहसीलदार बेनठा द्वारा अपने पत्र कमांक 1152 दिनांक 19–11–2020 से न्यायालय हाजा में रिपोर्ट प्रेषित की गई है जिसमें अंकित किया गया है कि अतिचारी काना पुत्र माधो गूर्जर निवासी ग्राम डाबला द्वारा आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 0.25 है0 नाले की भूमि पर से मौके से कब्जा हटा लिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 5–3–2020 से अपीलान्ट को दी गई सिविल जेल की सजा अपास्त की जाती है तथा शेष निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 3–12–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:03:38 IST
Reason: SelfAttested

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner